

किराया द्विपक्षीय घोषणा पत्र

(किरायानामा)

(केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए)

प्रोफाइल आई डी : महाविद्यालय का नाम :

किरायेदार (छात्र / छात्रा का नाम) : पिता / पति का नाम :

स्थायी पता : जिला :
.....
.....
.....
पिन कोड :

किराया पता का विवरण :

मकान मालिक का नाम : पिता / पति का नाम :

किराया का पता : वार्ड नं. :
.....
.....
.....
स्थानीय निकाय : ग्राम पंचायत नगर पालिका
(चुने :) नगर परिषद नगर निगम

स्थानीय निकाय का नाम : ब्लॉक का नाम :

पिन कोड : जिला :

मकान मालिक का फोन नं. : मकान मालिक पहचान पत्र चुने :

मकान मालिक पहचान पत्र संख्या : वोटर आई. डी. राशन कार्ड बैंक पासबुक
(प्रति संलग्न करें) बिजली बिल पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस

किराया विवरण :

किराया प्रारंभ दिनांक :/...../..... किराया (प्रति माह) :
शब्दों में किराया प्रति माह :

मैं (दोनों पक्ष) घोषणा करता हूँ कि :

- घोषित किरायेदार वर्तमान में उपर्युक्त किराये के पते पर रहता है, जो ऊपर घोषित मकान मालिक के स्वामित्व में है।
- मैंने (दोनों पक्ष) उपर्युक्त पता, किराया, दिनांक तथा अन्य विवरणों को सत्यापित कर लिया है और उपर्युक्त विवरण मान्य और सही है।
- उपर्युक्त जानकारी की सभी देयता और जिम्मेदारी, मेरे (दोनों पक्ष) द्वारा वहन की जाएगी।

किरायेदार :

हस्ताक्षर :

नाम :

मकान मालिक :

हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

स्थान :



महत्वपूर्ण निर्देश:

- यह किराये की घोषणा केवल वर्तमान किराये के पते के लिए मान्य है।
- कृपया मकान मालिक द्वारा सत्यापित मकान मालिक के घोषित पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें।
- यह किराये का प्रमाण पत्र केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए लागू और मान्य है।
- केवल इस दस्तावेज की उपलब्धता, योजना की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाती है। यह योजना के मापदंडों में से एक है।
- इस दस्तावेज की अधिकतम वैधता किराया प्रारंभ की तिथि से 11 माह तक है।